FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0113 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/05/2026 11:23 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 10/10/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 19:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/05/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/05/2026 11:23:04 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** MORIYA TEHASIL ROHAT, JILA PALI RAJASTHAN

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** LOKESH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BATTILAL MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VAYAD, ROHAT, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHERLA, SAPOTRA, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KEVALRAM PRJAPAT		पिता:ACHLARAM	1. MORIYA,ROHAT,PALI,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा मे श्रीमान एडिशनल एसपी साहब ए सी बी पाली द्वितीय विषय -रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत मुझ लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बत्तीलाल मीणा उम्र 35 साल पेशा अध्यापक निवासी ग्राम खेडला तहसील सपोटरा, जिला करौली हाल ग्राम वायद तहसील रोहट पाली मेरा निवेदन इस प्रकार है कि मै राजकीय प्राथमिक विधालय राखाणा मोड कुलथाना पंचायत समिति रोहट जिला पाली में अध्यापक के पद पर कार्यरत हु। मेरी 9 वर्षीय सेवा की देय एसीपी की बैसिक अपडेशन रिक्वेस्ट न. 170160 पि□छले कई दिनो से सीबीईओ कार्यालय रोहट में पेंडिग है जिससे एसीपी पश्चात देय वेतन नही मिल पा रहा है। मेरी एसीपी बैसिक अपडेशन व एसीपी का ऐरियर भुगतान करवाने के लिये मैं सीबीईओ कार्यालय रोहट के कनिष्ठ सहायक श्री केवलराम प्रजापत से मिला तो उन्होने मेरे से मेरी एसीपी के बैसिक अपडेशन करने व एसीपी के एरियर बिल को ट्रेजरी फारर्वड करवाने की ऐवज मे रिश्वत के रूप मे खर्चा पानी की मांग की मै मेरे जायज कार्य के लिये श्री केवलराम प्रजापत कनिष्ठ सहायक को रिश्वत नही देना चाहता हु उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरे एवम श्री केवलराम प्रजापत कनिष्ठ सहायक के आपस में कोई लेन देन बकाया नही है एवं न ही कोई आपसी दुश्मनी है। अत मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें। दिनांक 26-09-2025 एलके मीणा प्रार्थी लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बत्तीलाल मीणा उम्र 35 साल, पद अध्यापक निवासी ग्राम खेडला तहसील सपोटरा जिला करोली हाल निवासी ग्राम वायद तहसील रोहट जिला पाली कार्यवाही एसीबी दिनांक 26-9-2025 समय 11.00 ए.एम इस समय परिवादी श्री लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बत्तीलाल मीणा उम्र 35 साल पेशा अध्यापक निवासी ग्राम खेडला तहसील सपोटरा जिला करोली हाल निवासी ग्राम वायद तहसील रोहट जिला पाली ने एक लिखित रिर्पोट इस आश्य की पेश की कि मै राजकीय प्राथमिक विधालय राखाणा मोड कुलथाना पंचायत समिति रोहट जिला पाली में अध्यापक के पद पर कार्यरत हु । मेरी 9 वर्षीय सेवा की देय एसीपी की बैसिक अपडेशन रिक्वेस्ट न. 170160 पि□छले कई दिनो से सीबीईओ कार्यालय रोहट में पेंडिग है जिससे एसीपी पश्चात देय वेतन नही मिल पा रहा है। मेरी एसीपी बैसिक अपडेशन व एसीपी का ऐरियर भुगतान करवाने के लिये मैं सीबीईओ कार्यालय रोहट के कनिष्ठ सहायक श्री केवलराम प्रजापत से मिला तो उन्होने मेरे से मेरी एसीपी के बैसिक अपडेशन करने व एसीपी के एरियर बिल को ट्रेजरी फारर्वड करवाने की ऐवज मे रिश्वत के रूप मे खर्चा पानी की मांग की मै मेरे जायज कार्य के लिये श्री केवलराम प्रजापत कनिष्ठ सहायक को रिश्वत नही देना चाहता हु उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरे एवम श्री केवलराम प्रजापत कनिष्ठ सहायक के आपस में कोई लेन देन बकाया नही है एवं न ही कोई आपसी दुश्मनी है। अत मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें। परिवादी श्री लोकेश कुमार ने उक्त रिपोर्ट स्वंय द्वारा हस्तलिखित होना तथा रिर्पोट में लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री लोकेश कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र के सलंग्न आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावाली किया गया। परिवादी श्री लोकेश कुमार ने बताया कि रोहट पंचायत समिति के अधीन आने वाले समस्त विधालयो के पीडी हेड के कार्मिको का डीडीओ सीबीईओ रोहट है जो समस्त कार्मिको के बिलो को ट्रेजरी फोर्वड करते है जिससे समस्त कार्मिको को सैलेरी़ ऐरियर व अन्य भत्तो का भुगतान होता है। श्री केवलराम प्रजापत सीबीईओ कार्यालय रोहट मे कनिष्ठ सहायक के पद पर कायर्रत है जो समस्त बिलो को प्रोसेस करता है तथा आगे ट्रेजरी फार्वड करता है। सीबीईओ कार्यालय रोहट के अधीन आने वाले समस्त विधालयो के अध्यापक/कार्मिको के बिलो को आगे फोर्वड करने के नाम पर कार्मिको को परेशान करता है लेकिन सभी कार्मिक केवलराम की शिकायत करने से कतराते है। परिवादी की रिर्पोट में अकिंत तथ्यो एवं पूछताछ से मामला एक लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग करने से मामला प्रथम द्रष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की श्रेणी में आने से प्रथमत रिश्वत राशी मांग का गापनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। कार्यालय हाजा मे उपस्थित श्री कुलदीप सिंह कानि. को मेरे कायार्लय कक्ष मे तलब कर परिवादी व श्री कुलदीप सिह का आपस में परिचय करवाया तथा एक दुसरे के मोबाईल नम्बर का आपस में आदान-प्रदान करवाये। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वत राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकार्डर व नया मेमोरी कार्ड निकालकर खाली होना सुनिश्चित कर कानि. कुलदीप सिंह को डिजिटल वॉईस रिकार्डर चलाने की समझाईस करते हुये सुपूर्द कर निर्देशित किया कि परिवादी लोकेश कुमार के साथ सीबीईओ कार्यालय रोहट जाकर श्री केवलराम प्रजापत कनिष्ठ सहायक से सम्पर्क कर रिश्वत राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लावे इत्यादि हिदायत देकर परिवादी व श्री लोकेश कुमार एवं श्री

कुलदीप सिंह कानि. को सीबीईओ कार्यालय रोहट की तरफ समय 11.33 एएम पर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 02.00 पी.एम. पर श्री कुलदीपसिंह कानि पुर्व के निर्देशानुसार बाद गोपनीय सत्यापन के सीबीईओ कार्यालय रोहट से कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा पूर्व का सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड बन्द हालात मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया मै व परिवादी रोहट पहुचे जहा पर परिवादी ने श्री केवलराम के सीबीईओ कार्यालय मे उपस्थित होने के बारे मे मालुमात किया तो केवलराम सीबीईओ कार्यालय मे उपस्थित नही होना ज्ञात हुआ। जिस पर परिवादी को आईन्दा केवलराम का सीबीईओं कार्यालय मे उपस्थित होने की जानकारी कर सूचना करने के लिये समझाईस की गई। तत्पश्चात हालात मैने आपको मोबाईल पर कॉल कर बताये। उसके बाद आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री लोकेश कुमार को रोहट मे ही छोडा तथा मै रवाना होकर कार्यालय हाजा पर आ गया। अत परिवादी की रिपोर्ट के क्रम मे आईन्दा परिवादी की ईतला अनुसार आगामी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की कारवाई अमल मे लाई जावेगी। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। समस्त हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन किेये जायगें। दिनांक 10.10.2025 समय 02.00 पी.एम. पर दर्ज रहे कि परिवादी श्री लोकेश कुमार ने जरिये मोबाईल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि आज श्री केवलराम एलडीसी ने मुझे मेरे ऐरियर बिलो के बारे मे बात करने के लिये अपने गाव मोरिया बुलाया है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. कुलदीप सिंह को कार्यालय कक्ष मे तलब कर कायार्लय की अलमारी मे से डिजिटल वॉईस रिकार्डर व नया मेमोरी कार्ड निकालकर खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द कर निर्देशित किया कि परिवादी श्री लोकेश कुमार से कस्बा रोहट में मिले व परिवादी के साथ आरोपी के गांव मोरिया जाकर पुन रिश्वत राशि गोपनीय मांग सत्यापन करवाकर लावें इत्यादि हिदायत देकर कानि. कुलदीप सिंह को रोहट की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 07-00 पीएम पर श्री कुलदीप सिह कानि उपरोक्त फिकरा का गया हुआ निर्देशानुसार बाद मांग सत्यापन कार्यवाही के गांव मोरिया से कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा पूर्व का सुपुर्दशुदा डिजिटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हालात मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मै श्रीमान के निदेशानुसार रिश्वत राशि मांग के संबंध मे पुन मांग सत्यापन की कारवाई के लिए कस्बा रोहट पहूंचा जहां परिवादी श्री लोकेश कुमार मुझे रोहट-जालौर तिराहे पर उपस्थित मिला। मै व परिवादी लोकेश कुमार, परिवादी के निजी वाहन से केवलराम प्रजापत के गांव मोरिया की तरफ रवाना हुए। गांव मोरिया मैन रोड पर एसओ के घर से थोडा पहले मैने परिवादी श्री लोकेश कुमार को कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड के चालू कर सुपुर्द कर गोपनीय सत्यापन की कारवाई के लिए रवाना किया तथा मै अपनी उपस्थिित छुपाते हुए मैन रोड के आस पास ही मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी श्री लोकेश कुमार मेरे पास आया, परिवादी के पास से कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर मैने पून प्राप्त कर स्वीच आफ कर अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा तथा गोपनीयता बरतते हुए उक्त स्थान से रवना होकर गांव मोरिया से कुलथाना रोड की तरफ गये जहां पर परिवादी ने बताया कि मै श्री केवलराम जी के घर की तरफ जा रहा था तो केललराम जी मुझे रोड पर ही पंचर की दूकान पर मिल गये तथा मेरी गाडी मे आकर बैठ गये। मैने उन्हे मेरी एसीपी के सैलेरी एरियर बिल के बारे मे बात की तो उन्होने कहा कि मैने आपके बिल बना दिये है लेकिन सर्वर डाउन होने से ट्रेजरी नही भेजे है सोमवार को बिल फारवर्ड होते ही करीब 20-25 दिन मे पेमेंट आपके खाते मे आ जायेगा और कहा कि रिश्वत राशि के बारे मे पुछने पर स्पष्ट तो नही बताया लेकिन कहा कि आपकी इच्छा हो वैसे देख लेना तथा इच्छा अनुसार कुछ लाकर दे देना या दिला देना। उसके बाद मैने हालात श्रीमान को जरिये वाटसअप काल आपको निवेदन किये तथा आपके निदे्रशानुसार परिवादी श्री लोकेश कुमार को वहीं से रूखसत किया तथा मै वहां से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आ गया। कानि द्वारा बताये तथ्यों के क्रम मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वायस रिकार्डर चालू कर सुना तो रिकार्ड वार्ताओं मे तथ्य पाये गये कि एसओ द्वारा परिवादी को उसके इच्छा अनुसार लाकर देने की वार्ता की गई तथा परिवादी द्वारा पून् पुछने पर एसओ ने परिवादी को उसकी इच्छा अनुसार ही लाकर देने की बात कही तथा साथ ही नगद रूपये लेने से स्पष्ट इंकार किया गया। लेकिन परिवादी की इच्छा अनुसार लाकर देने की मांग जरूर की गई है। रिकार्डिंग वार्ता के सुनने से यह बात स्पष्ट होती है कि एसओ केवलराम प्रजापत एसडीसी शातिर प्रव्रर्ति का है तथा रिश्वत संबंधि स्पष्ट वार्ता नही करके परिवादी की इच्छा अनुसार रिश्वत राशि के रूप मे मांग करना स्पष्ट प्रकट होता है। डिजिटल वायस रिकार्डर मे से मेमोरी कार्ड बाहर निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे मे कार्यालय की अलमारी के लोकर मे सुरक्षित रखा। रिकार्डिंग वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट जो कि गवाहान तलबी पश्चात रूबरू गवाहान व परिवादी के आईंदा मुर्तिब की जायेगी। समस्त हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये जाएंगे तथा निदे्रशानुसार आवश्यक अग्रिम कारवाई अमल मे लाई जावेगी। तत्पश्चात दिनांक 27-10-2025 को वक्त 06-00 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश कुमार ने जरिये वाटसअप काल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे पास श्री केवलराम प्रजापत बाबूजी का काल आया था, उन्होने मुझे कहा कि आपके खाते मे एसीपी का सैलेरी एरियर आ गया है, आप आज आकर मुझसे मिलो तथा मै आज केवलराम से मिलने जांउगा। साथ ही परिवादी ने बताया कि श्री केवलराम बाबूजी को मैं रूपये नहीं दूंगा तो वो फिर मेरे और भी बिल बाकी है, उनको वो पास नहीं करेंगे तथा उसमें एतराज लगा कर अटका देंगे। श्री केवलराम नगद रूपयें नही लेकर कोई न कोई सामान खरीद लेते है फिर उसका भुगतान करवाते है। मेरे साथ भी वो ऐसे ही कर रहे है। परिवादी के

बताये अनुसार परिवादी की रिपोर्ट के क्रम एसओ द्वारा मांग की जा रही रिश्वत के बारे में स्पष्ट मांग सत्यापन हेतु कार्यालय हाजा के सतपाल कानि को आवश्यक समझाईश कर परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन की कार्यवाही के लिये कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर संचालन करने की प्रक्रिया समझाकर व मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द कर रोहट की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 08-50 पीएम पर श्री सतपाल कानि0 उपरोक्त् फिकरा का गया हुआ निर्देशानुसार बाद मांग सत्यापन की कारवाई रोहट से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी आवास पर उपस्थित आया तथा पूर्व का सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बंद हालात में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं श्रीमान के निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कारवाई के लिये रोहट पंहुचा जंहा पर परिवादी श्री लोकेश कुमार से जरिये वॉटसअप कॉल सम्पर्क किया तो उसने रोहट में बस स्टेण्ड के पास होना बताया जिस पर मैं रोहट बस स्टैण्ड पंहुचा जंहा पर परिवादी से सम्पर्क कर उससे मिला उसके बाद परिवादी ने एसओ केवलराम की उपस्थिति ज्ञात करने के लिये मोबाईल पर सम्पर्क किया तो एसओ ने स्वयं के निजी काम से जोधपुर जाना बताया। तत्पश्चात आपको जरिये मोबाईल हालात निवेदन कर आपके निर्देशनुसार परिवादी श्री लोकेश कुमार को रोहट में ही रूकसत किया तथा मैं रोहट से रवाना होकर पाली आया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन मैमोरी कार्ड स्वंय के कब्जे में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दिनांक 28-10-2025 को समय 03-10 पीएम पर परिवादी लोकेश कुमार ने जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि कल दिनांक 27-10-2025 को श्री केवलराम जी से वार्ता हुई तो उन्होंने मुझे आज बुलाया है मेरे पास उनके एक दो बार कॉल भी आ गये। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि0 सतपाल को कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने कब्जे से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व नया मैमोरी कार्ड निकालकर खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द करते हुए निर्देशित किया कि परिवादी श्री लोकेश कुमार से कस्बा रोहट में मिले तथा रिश्वत राशि मांग के गोपनीय सत्यापन सबंधी आवश्यक कार्यवाही अमल में लावे ईत्यादि हिदायत कर रोहट की तरफ रवाना किया। तत्पश्चात समय 06-10 पीएम पर श्री सतपाल कानि0 उपरोक्त फिकरा का गया हुआ निर्देशनुसार बाद पुन मांग सत्यापन की कारवाई के रोहट से कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा पूर्व का सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बंद हालत में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं श्रीमान के निर्देशानुसार रिश्वत राशि पुन मांग सत्यापन की कारवाई के लिये कस्बा रोहट पंहुचा जंहा परिवादी लोकेश कुमार मुझे बस स्टेण्ड रोहट पर उपस्थित मिला मैं व परिवादी लोकेश कुमार परिवादी के निजी वाहन से सीबीईओ कार्यालय रोहट के बाहर पंहुचे जंहा मैंने परिवादी श्री लोकेश कुमार को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर रिकॉर्डर चालू कर एसओ केवलराम से मिलने सीबीईओ कार्यालय रवाना किया तथा मैं कार्यालय कें बाहर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए गोपनीय स्थान पर मुकिम रहा थोडी देर पश्चात परिवादी श्री लोकेश कुमार बस स्टेण्ड की तरफ से सीबीईओ कार्यालय के बाहर मेरे पास आया तथा पूर्व का सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने बंद कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा तत्पश्चात मैं व परिवादी वंहा से परिवादी के निजी वाहन से रवाना होकर रोहट बस स्टेण्ड पर पंहुचे तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मैं सीबीईओ कार्यालय रोहट की तरफ जाने लगा तो केवलराम प्रजापत एलडीसी मुझे सीबीईओ कार्यालय के बाहर ही मिल गये तथा मुझे उनके मिलने वाले किसी पटेल की दूकान पर चलने के लिये बोला उसके बाद केवलरामजी मेरी कार में बैठ गये तथा कस्बा रोहट में ही किसी दूकानदार से जैकेट लिया है उसको पैमेंट करने के लिये कहने लगे। मैंने केवलरामजी को कहा की आप बता रहे थे पन्द्रह सो रूपये तो उन्होने कहा की दूकानदार को आपके हिसाब से दे देना। कुछ समय बाद मैं एंव केवलरामजी, अशोक एंटरप्राईजेज नाम की दूकान पर पंहुचे तो केवलरामजी ने मुझें दुकानदार को पैमेंट करने का कहा तो मैनें दूकानदार को मेरा एटीएम कार्ड दिया तो उसने एटीएम पैमेंट मशीन नहीं होना बताया तथा फोन-पे करने का बोला जिस पर मैंने किसी मिनले वाले को दूकान पर लगे स्कैनर की फोटो भेजी तथा पन्द्रह सो रूपये डालने का बोला। परंतु किसी तकनीकी कारण से स्कैनर से पैमेंट नहीं होने पर केवलराम एलडीसी ने दूकानदार के मोबाईल नम्बर पर पैमेंट करने का कहा तो मैंने केवलराम एलडीसी को बताया कि अभी साईबर फ्रोड चल रहे है मिलने वाले का डिलिंग का अकाउण्ट, कंरट अकाउण्ट है इसलिये पहले एड करना पडेगा व 24 घण्टे लगते है। कल परसो कर दूंगा आपको फोन पर बात करवा दूंगा। फिर मैंने कहा की यंहा एटीएम है तो एटीएम से निकालकर देते है। मेरे द्वारा केवलरामजी से एटीएम का पूछा तो उन्होंने बस स्टेण्ड पर एटीएम होने के बारे में बताया साथ ही कहा की मुझे बस स्टेण्ड पर ही उतार देना। मैने मेरे दो बिल और भेजने का कहने पर उन्होंने बिल भेज देने का बोला। उसके बाद मैंने श्री केवलराम एलडीसी को बस स्टेण्ड उतार दिया आदि वार्ता करने के बाद मैं वंहा से रवाना होकर आपके पास आया हूं। तत्पश्चात आपके निर्देशनुसार परिवादी श्री लोकेश कुमार को वंही पर रूकसत किया तथा मैं रोहट से रवाना होकर पाली पंहुचा। कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यों के क्रम में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुना तो कानि0 सतपाल के तथ्यों की ताईद हुई। रिकॉर्डिग वार्ता में पुन यह बात स्पष्ट होती है कि एसओ श्री केवलराम प्रजापत कनिष्ठ सहायक परिवादी के सैलेरी ऐरियर के बिलों के भुगतान होने के पश्चात भी रिश्वत राशि प्राप्त करना चाहता है परन्तु स्वयं रिश्वत की स्पष्ट मांग नहीं करके परिवादी की ईच्छानुसार रिश्वत या उसके बदले उपहार आदि प्राप्त करना चाहता है तथा अपने किसी मिलने वाले की दूकान पर परिवादी को ले जाकर स्वंय द्वारा खरीदे गये जैकेट का भुगतान उससे करवाना चाहता है। परिवादी श्री लोकेश कुमार द्वारा

एसओ केवलराम को ही रिश्वत राशि देने का कहने पर एसओ परिवादी को कहता है कि आप ही उनको कर देना डायरेक्ट ही अर्थात दूकानदार को देने का कहता है। इस प्रकार एसओ श्री केवलराम प्रजापत कनिष्ठ सहायक शातिर प्रव्रति का होकर स्वंय रिश्वत राशि नहीं लेकर रिश्वत के रूप में अपने खरीदे गये सामान (जैकेट) का भुगतान परिवादी से करवाना चाहता है। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में से मैमोरी कार्ड बाहर निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सरुक्षित रखा। रिकॉर्डिग वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रीप्ट जो कि गवाहान तलबी पश्चात रूबरू गवाहान व परिवादी के आईन्दा मुर्तिब की जायेगी । समस्त् हालात उच्च अधिकारीयों को निवेदन किये जायेंगे तथा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही अग्रीम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। तत्पशचात दिनांक 29-10-2025 समय 08-35 एएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के रिकॉर्डिग् के दोनो मैमोरी कार्ड मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे से निकालकर मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप से जोडकर मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में सेव करवाया गया। इस दौरान डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालते वक्त सहवन से रिकॉर्डर ऑन हो जाने से दिनांक 28-10-2025 के सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड में 03 सैकण्ड की रिकॉर्डिग हो गई जिसमें कोई वार्तालाप नहीं है। तत्पश्चात दोनो मूल मैमोरी कार्ड लेपटॉप में से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में कार्यालय की अलमारी के लॉकर में सुरक्षित रखे। तत्पश्चात श्री कुलदीपसिंह कानि0 को निर्देशित किया कि लेपटॉप में उक्त सेव वार्ताओ को सुन-सुनकर वार्ता के शब्दो का शब्द-ब-शब्द हुबहु टंकण् कम्प्यूटर के माध्यम से करे। तत्पशचात समय 06-35 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के निर्देशानुसार श्री कुलदीपसिंह कानि0 ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से सबंधित दोनो मैमोरी कार्ड की वार्ता को अलग-अलग तिथिवार टंकण कर टंकण् की हार्डकॉपी का प्रींट निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टंकणीय शब्दों का मिलान कर रिकॉर्ड वार्ताओं से किया जाकर टंकण् की सॉफट कॉपी लेपटॉप में सुरक्षित सेव रखवायी गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता गवाह व परिवादी की उपस्थित में टंकणीय शब्दों का मिलान कर फर्द ट्रांसक्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्वितीय अलग-अलग तैयार की जायेगी। तत्पशचात दिनांक 12-11-2025 समय 05-10 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश् कुमार ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि दिनांक 31-10-2025 को शाम को करीब 05-45 बजे श्री केवलराम प्रजापत से मेरी वार्ता हुई थी, तब उन्होंने मुझे कहा कि आपने दूकानदार को पैमेंट नहीं किया, जिस पर मैनें उनको बताया कि मैंने आपके सामने मेरे भाई को स्क्ेनर व दूकानदार के मोबाईल नम्बर भेजे थे परंतु तकनीकी कारण से पैमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद अगर मेरे भाई ने दूकानदार को पैमेंट कर दिया है तो मैं उसे पुछकर आपको बताता हूं। मेंरी श्री केवलराम एलडीसी से उस रोज हुई वार्ता के बाद आज दिनांक तक उनका फोन नहीं आया है न ही मैंने उनको कॉल किया। श्री लोकेश कुमार ने बताया कि श्री केवलराम व मेरे बीच फोन पर दिनांक 19-10-2025 को हुई वार्ता का विडीयोग्राफी मेरे भाई श्री हेमन्त कुमार मीणा ने की थी जिसको भी मैं पैन ड्राईव् में डालकर आपको दे रहा हूं। परिवादी श्री लोकेश कुमार द्वारा पेश किया गया पैन ड्राईव लेपटॉप में डालकर देखा गया तो परिवादी के मोबाईल पर केवलराम के नाम से सेव मोबाईल नम्बर पर परिवादी वार्ता कर रहा है जिससे श्री केवलराम जैकेट के बिल पन्द्रह सो रूपये भुगतान करने के लिये कह रहा है। विडीयो के अवलोकन से श्री केवलराम द्वारा परिवादी से जैकेट के बिल के रूप में रिश्वत राशि के पन्द्रह सो रूपये की मांग करना स्पष्ट होता है तथा शातिर प्रव्रति का होने से परिवादी के किये गये कार्य की एवज में नकद रिश्वत राशि नही लेकर जैकेट के बिल के रूप में रिश्वत राशि प्राप्त करना स्पष्ट प्रकट होता है। पैन ड्राईव को प्राप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर शामिल कारवाई किया गया। विडीयोग्राफी परिवादी के भाई श्री हेमन्त कुमार मीणा ने तैयार किया है जिसके सबंध में श्री हेमन्त कुमार मीणा का साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) का प्रमाण-पत्र व हैश वैल्यू के दस्तावेजात पेश किये जो शामिल कारवाई किये गये। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मेरे बिल और बाकी है तथा केवलराम को उसके बताये अनुसार रिश्वत के रूपये नहीं दूगा तो वो मेरे बिलो में एतराज कर देगा। वो मेरे से सीधे तौर पर रिश्वत के रूपये नही ले रहे है तथा दूकान वाले को दिलवा रहे है। मैं दूकान वालो को नहीं पकडवाना चाहता हूं तथा कुछ दिन के लिये इंतजार करना ठिक रहेगा। मैं ज्यों हीं मेरे काम से फ्री होउंगा तथा केवलराम द्वारा मेरे से रिश्वत राशि लेन-देन के प्रयास करेगा तब मैं आपको सूचना कर दूंगा। परिवादी के बताये अनुसार कारवाई को परिवादी के आगामी सूचना तक लंबित रखा गया तथा इस सबंध में सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन किये जायेंगे। परिवादी को गोपनीयता की हिदातय कर ईजाजत वापसी दी गई। तत्पश्चात दिनांक 25-11-2025 समय 11-10 एएम पर परिवादी श्री लोकेश कुमार मीणा से सम्पर्क कर उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट के क्रम में अग्रीम कार्यवाही बाबत कहा गया तो परिवादी ने बताया कि श्री केवलराम ने मेरे से अब तक रिश्वत राशि देने के सबंध में नहीं कहा है तथा वो मेरे से कहेगा जरूर इसलिये थोडे दिन और ईंतजार करना ठीक रहेगा। परिवादी के बताये अनुसार कारवाई को परिवादी के अग्रिम सूचना तक लम्बित रखने का निर्णय लिया गया तथा हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन किये गये। तत्पश्चात दिनांक 15-12-2025 समय 11-10 एएम पर परिवादी श्री लोकेश कुमार मीणा से सम्पर्क कर लम्बित उक्त कारवाई के बारे में जानकारी चाही गई तो परिवादी ने बताया कि अभी तक केवलराम का फोन नही आया। परिवादी ने बताया कि मैं स्कूल एक ही अध्यापक हूं इसलिये केवल छुटटी वाले दिन ही ईधर-उधर आ जा सकता हूं तथा मैं मेरे परिवार से भी दूर रहता हूं तो छुटटी वाले दिन मैं मेरे गांव चला जाता हूं। इसलिये मैं फ्री होकर एसओ से पुन मिलने नहीं जा सका तथा एसओ मेरे से रिश्वत के रूपये जरूर

मांगेगा इसलिये थोडे दिन और ईंतजार करना ठीक रहेगा। परिवादी के बताये अनुसार कारवाई को परिवादी के अग्रिम सूचना तक लम्बित रखने का निर्णय लिया गया तथा हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन किये गये। तत्पशचात दिनांक 04-02-2026 समय 11-10 एएम पर परिवादी श्री लोकेश् कुमार दिनांक 03-02-2026 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया था लेकिन मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य गोपनीय कार्य से कार्यालय हाजा से बाहर था। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वॉटसअप कॉल किया तथा बताया कि मै इतने दिनो तक एसीबी ऑफिस नहीं आ सका क्योंकि मैं मेरे निजी कार्य में व डयुटी में व्यस्त् था और श्री केवलराम ने मेरे बकाया बिल सारे पास कर दिये है, मेरा ऐरियर बिल भी अब उनके पास पैण्डिंग नंही है तथा अब वो शायद मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा तथा ना ही लेने की संभावना आदि भी है। जिस पर परिवादी को आईन्दा कार्यालय आने का कहा तो परिवादी ने बताया कि मैं डयुटी में व्यस्त् रहता हूं क्योंकि मैं स्कूल में एकल अध्यापक ही हूं तथा मेरे अवकाश कम है तो मैं रविवार को आपके कार्यालय आउंगा। परिवादी के बताये अनुसार परिवादी की रिपोर्ट के क्रम में की गई कारवाई से सबंधित वांछित कारवाई के क्रम में आईन्दा रविवार को गवाह की तलबी कर आवश्यक कारवाई करने का निर्णय लिया गया तथा स्टाफ को रविवारीय अवकाश के दिन कार्यालय मे कार्यालय में उपस्थित आने के लिये पाबंद किया गया। तत्पशचात दिनांक 06-02-2026 समय 01-10 पीएम पर उपरोक्त कारवाई के क्रम में गवाह की आवश्यकता होने से तहरीर जारी कर वाणिज्य विभाग पाली से गवाह की तलबी कि गई तो गवाह श्री विनोद कुमार कर सहायक व श्री राजेश कुमार मीणा कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये, जिनको रविवार दिनांक 08-02-2026 को वक्त तलबी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के लिए पाबंद कर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 08-02-2026 को समय 11-20 एएम कार्यालय हाजा पर पूर्व के पाबंदशुदा स्टाफ उपस्थित है तथा परिवादी श्री लोकेश कुमार मीणा भी पूर्व के बताये अनुसार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया है। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै इतने दिनों तक एसीबी आफिस नही आ सका क्योंकि मै मेरे निजी कार्य व डयूटी मे व्यस्त था और श्री केवलराम ने मेरे बकाया सारे बिल पास कर दिये है, मेरा एरियर बिल भी अब उनके पास पैंडिंग नही है तथा अब वो शायद मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा तथा ना ही लेने की संभावना आदि भी है। साथ ही बताया कि श्री केवलराम मेरे से मेरे एरियर बिल पास करवाने की एवज मे सीधे तौर पर रिश्वत राशि नही ले रहा है तथा सामान के बिल का भुगतान मेरे से फोन पे करवाने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध मे श्री केवलराम द्वारा जैकेट के बिल का भुगतान पन्द्रह सौ रूपये करने के लिए मुझे फोन करके कहा उस समय वार्ता की विडियोग्राफी मेरे भाई ने कि थी, उस विडियों का पैन ड्राईव मे डालकर पहले दे दिया गया है। परिवादी ने इस संबंध मे लिखित मे प्रार्थना पत्र मुझे दिया जिसे शामिल पत्रावली किया। परिवादी के बताये तथ्यों पर आगे कोई कारवाई होने की संभावना नही होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की फर्द ट्रासक्रिप्ट तेयार कर अब तक की गई कारवाई के क्रम मे रिपोर्ट मुख्यालय भेजना आवश्यक होने से पाबंद किये गये गवाह को शीघ्र ही कार्यालय उपस्थित आने हेतु सूचित किया गया। तत्पश्चात समय 11-35 एम पर गवाह श्री विनोद कुमार पंवार व श्री राजेश कुमार मीणा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये दोनो गवाह व परिवादी का आपस में परिचय करवाया। तत्पश्चात परिवादी की रिपोर्ट दोनो गवाह को पढाई गई तथा परिवादी की रिपोर्ट के क्रम में अब तक की गई गोंपनीय सत्यापन से सबंधित वार्ता को लेपटॉप के माध्यम से सुनाया गया तत्पश्चात परिवादी की रिपोर्ट के क्रम में ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रैप कारवाई में स्वतंत्र गवाह रहने का कहने पर दोनो गवाह ने मौखित सहमति प्रदान कर परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। उसके बाद इस कारवाई से सबंधित रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रीप्ट तैयार किया जाना शेष होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता-प्रथम जो दिनांक 10-10-2025 को रिकॉर्ड करवाई गई थी, उक्त रिकॉर्डिग वार्ता की पूर्व में शब्द-ब-शब्द टंकण करवाया जा चुका है, जो कार्यालय के लेपटॉप् में सेव है। उक्त टंकणीय शब्दो के मिलान हेतु रिकॉर्ड वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के अलमारी के लॉकर में से निकालकर लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप् के ईनबिल्ट स्पीकर से सुन-सनुकर शब्द-ब-शब्द मिलान करवाकर फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता-प्रथम परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू तैयार करना प्रारम्भ किया गया। रिकॉर्ड वार्ताओ में से एक आवाज परिवादी ने स्वंय की व दूसरी आवाज श्री केवलराम की होना पहचान की उक्त फर्द ट्रांस्क्रीप्ट वक्त 01-30 पीएम तक पूर्ण कर फर्द पर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कारवाई किया गया मूल मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप् से दो पैन ड्राईव में डब/कॉपी तैयार की गई। मांग सत्यापन के मूल मैमारी कार्ड की हैश वैल्यू निकाली गई तथा इस सबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण-पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कारवाई किया गया। इस वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को प्लास्टिक की एक डिब्बी में डालकर कपडे की थैली में शिल्ड किया गया, थैली पर इबारत लिखकर सबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा दोनो पैन ड्राइव को खुली हालात में रखा गया। तत्पश्चात समय 02-15 पीएम पर कारवाई से सबंधित रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता-द्वितीय की फर्द ट्रांस्क्रीप्ट तैयार किया जाना शेष होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता-द्वितीय जो दिनांक 28-10-2025 को रिकॉर्ड करवाई गई थी, उक्त रिकॉर्डिग वार्ता को पूर्व में शब्द-ब-शब्द टंकण करवाया जा चुका है, जो कार्यालय के लेपटॉप् में सेव है। उक्त टंकणीय शब्दो के मिलान हेतु रिकॉर्ड वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के दूसरे लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप् के ईनबिल्ट स्पीकर से सुन-सनुकर शब्द-ब-शब्द मिलान करवाकर फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट रिश्वत राशि

मांग सत्यापन वार्त-द्वितीय तैयार करना प्रारम्भ किया गया। रिकॉर्ड वार्ताओ में से एक आवाज परिवादी ने स्वंय की व दूसरी आवाज श्री केवलराम की होना पहचान की उक्त फर्द ट्रांस्क्रीप्ट वक्त 04-30 पीएम तक पूर्ण कर फर्द पर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कारवाई किया गया मूल मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप् से दो पैन ड्राईव में डब/कॉपी तैयार की गई। मांग सत्यापन के मूल मैमारी कार्ड की हैश वैल्यू निकाली गई तथा इस सबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण-पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कारवाई किया गया। इस वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को प्लास्टिक की एक डिब्बी में डालकर कपडे की थैली में शिल्ड किया गया, थैली पर इबारत लिखकर सबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा दोनो पैन ड्राइव को खुली हालात में रखा गया। परिवादी द्वारा पेश किये गये विडीयो रिकॉर्डिग के पैन ड्राईव को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उपस्थित गवाह को भी चलाकर दिखाया गया तो गवाहान ने भी परिवादी के मोबाईल पर स्पीकर ऑन कर कॉनटेक्ट लिस्ट में सेव केवलराम नाम के व्यक्ति से वार्ता करना स्वीकार किया तथा इन वार्ताओ में केवलराम के नाम के व्यक्ति द्वारा जैकेट के बिल का भुगतान 1500/- रूपये परिवादी से दूकान वाले के स्कैनर पर या उसके फोन नम्बर पर फोन-पे के माध्यम से करवाने की वार्ता होना स्वीकार किया उक्त पैन ड्राईव को भी कब्जा एसीबी लिया गया तथा अनुसंधान के क्रम में खुली हालत में रखा गया तथा उक्त मूल वार्ता जो कि परिवादी के भाई श्री हेमन्त कुमार मीणा के मोबाईल में सेव है उक्त मूल वार्ता जब्ती के सबंध में अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा आवश्यक कारवाई अमल में लाई जावेगी। तत्पश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्वितीय के दो मूल मैमोरी कार्ड के शिल्डशुदा पैकेट व चार डब पैन ड्राईव एंव एक परिवादी द्वारा पेश किये गये विडीयोग्राफी का पैन ड्राईव खुले हालात में मालखाना प्रभारी श्री भवानीसिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 05-05 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश कुमार मीणा व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार व श्री राजेश कुमार मीणा को अपनी अपनी सकूनत को रवाना किया गया।उपरोक्त तथ्यों एवं एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से अब तक की गई कारवाई से एसओ श्री केवलराम प्रजापत कनिष्ठ सहायक सीबीईओ कार्यालय रोहट द्वारा परिवादी के एरियर बिलों को पास करवाने की एवज में परिवादी से रिश्वत राशि मांग करना मांग सत्यापन वार्ताओ एवं परिवादी द्वारा पेश की गई एसओ व परिवादी के बीच हुई वार्ता की विडीयो रिकॉर्डिग से एसओ द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि (खरीदे गये जेकेट के बिल के भुगतान के रूप में 1500/- रूपये) मांग करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। इस प्रकार रिश्वत राशि मांग सत्यापन से एक लोक सेवक द्वारा अपने वैध पारितोषण से भिन्न पारितोषण प्राप्त करने की मंशा से रिश्वत राशि की मांग करना पाया जाने पर श्री केवलराम प्रजापत पुत्र श्री अचलाराम, उम्र 37 वर्ष, निवासी गांव पोस्ट मोरिया तहसील रोहट जिला पाली राज हाल वरिष्ठ सहायक सीबीईओ कार्यालय रोहट जिला पाली राज का उक्त क्रत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री केवलराम प्रजापत वरीष्ठ सहायक सीबीईओ कार्यालय रोहट जिला पाली के विरूध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे। (खींवसिंह), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, पाली द्वितीय..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री खींवसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री केवलराम प्रजापत पुत्र श्री अचलाराम, उम्र 37 वर्ष, निवासी गांव पोस्ट मोरिया तहसील रोहट जिला पाली राज हाल वरिष्ठ सहायक सीबीईओ कार्यालय रोहट जिला पाली राज के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 728 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 721-24 दिनांक 07.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा पाली मण्डल, पाली 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DHARMENDRA DUKIYA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/05/2026 11:25:58

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)